राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या– 20 / 2021

दायर दिनांकः–18.03.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी झाग, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

–– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक–26.07.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम झाग तहसील रुपनगढ में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार नवीन खाता संख्या 96 के खसरा नम्बर 188 रकबा 11.4393 है0 है। जिसमें राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी का संपूर्ण हिस्सा है।उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075, जमाबंदी संवत् 2061 से 2064, जमाबंदी संवत् 2056 से 2060 एवं जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 की प्रमाणित नकल एवं भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान की खतोनी जमाबंदी संवत् 2020 की प्रमाणित नकल में वादी का नाम सहवन से नृपतसिंह पुत्र भंवरसिंह का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का सहवन से गलत नाम नृपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हो गया है जिसको दुरुस्त करवाकर वादी का सही नाम किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह का इन्द्राज करवाकर, इन्द्राज दुरुस्ती करवाना चाहता है। वादी के भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, भारत सरकार का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भरतीय डाक विभाग के पेंशन ऑर्डर, भारतीय डाक विभाग का परिचय पत्र, पेन कार्ड इत्यादि में वादी का नाम किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है। वादी के नाम में भिन्नता के कारण एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न, अलग–अलग नाम नृपतसिंह पुत्र भंवरसिंह व किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है।वादी के नाम में भिन्नता के कारण एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न, अलग–अलग नाम नृपतसिंह पुत्र भंवरसिंह व किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह हो गये है, जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह है। वादी की कृषि भूमि में वादी का गलत नाम नृपतसिंह अंकित होने से एवं वादी के अन्य पहचान के दस्तावेजों में वादी का नाम किशोर सिंह अंकित होने से वादी को अपने कृषि भूमि के विकास करने, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जबकि उक्त दोनों नामों का वादी एक ही व्यक्ति है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। वकील वादी की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.29 13:11:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की लिखित बहस पर मनन किया। तदनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

जाकर ग्राम झाग के खसरा नम्बर 188 रकबा 11.4393 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम नृपतसिंह पुत्र भंवर सिंह के स्थान पर किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.29 13:11:41 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 20/2021

1. किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी झाग, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।

——वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झाग के खसरा नम्बर 188 रकबा 11.4393 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम नृपतसिंह पुत्र भंवर सिंह के स्थान पर किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.2021 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.29 13:11:41 IST
Reason: SelfAttested